न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 02/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/03)

वादीगण

1. जगरूप सिह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. मनप्रीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जसविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
2. जसविन्द्र सिंह पुत्र पूर्ण सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
3. रुपिन्द्र सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
4. सरदूल सिंह पुत्र जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
5. जगमीत सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
6. परमीत सिंह पुत्र अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
7. बनवारी लाल पुत्र मोहरी राम जाति अरोड़ा निवासी श्री करणपुर।
8. कुशवन्त सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
9. गुरदीप सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
10. गुरमीत कौर पत्नी जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
11. गुरविन्द्र सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
12. छिन्द्र कौर पत्नी सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
13. भूपेन्द्र सिंह पुत्र सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
14. मलकीयत कौर पत्नी नर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
15. सुखजीत कौर पुत्री जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
16. हरपाल सिंह पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
17. हरबंस सिंह पुत्र नर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
18. जगतार सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
19. त्रिलोक सिंह पुत्र बलतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
20. पवनदीप सिंह पुत्र बलतार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
21. जगजीत सिंह पुत्र तोता सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
22. जलंधर सिंह पुत्र बख्तौर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
23. तोता सिंह पुत्र बख्तौर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
24. बलवीर सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
25. विचित्र सिंह पुत्र धर्म सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

26. किरणजीत कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
27. गुरदर्शन सिंह पुत्र बख्शी-ा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
28. गुरदीप सिंह पुत्र माला सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
29. पूर्ण सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
30. परविन्द्र कौर पुत्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
31. बलजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
32. बलदेव सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
33. बोहड़ सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
34. भिन्द्र सिंह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
35. लखविन्द्र सिह पुत्र गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
36. लाल सिंह पुत्र झण्डा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
37. सुखदेव कौर पत्नी करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
38. सूबा सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
39. हरनाम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
40. हरमनदीप सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
41. नरेन्द्र कौर पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
42. गुरदेव सिंह पुत्र गुरबक्-ा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
43. गुलाब कौर पुत्री ज्ञान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर
44. चरणजीत कौर पुत्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
45. निर्मलजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ ए रड़ेवाला तहसील श्रीकरनपुर
46. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 04.01.2023

उपस्थितः1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

——निर्णय—— **दिनांकः 31.07.2024**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 5 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 25, 34, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 68, 85, राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27, राजस्व ग्राम 8 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 21 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से संयुक्त खाता में कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में परिवारजन एवं एक ही गांव के सदस्य है। पक्षकारान ने काफी समय से आपसी सहमति से उक्त संयुक्त खाता की भूमि का विभाजन कर रखा है। सहमति वंटवारानामा अनुसार वादी संख्या 1 को चक 5 एफ ए के खाता संख्या 21/18 मे मुरबा नबर 33 मे किला नबर 23 ,24 मे 0.506 है0 ,मुरब्बा नबर 40 मे 6.072 है0 ,मुरबा नबर 43

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मे 2.4790 है0 कुल 9.057 है0 नहरी भुमि, खाता संख्या 50/46 मे मुरबा नबर 43 मे किला नबर 14/2 ,15 ,16 ,17/1 , 24/2 ,25 मे कुल 1.2520 है0 नहरी बाग भुमि, खाता संख्या 49/45 मे मुरबा नबर 43 मे किला नबर 11 ,12 ,13 , 14/1 ,17/2 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 24/1 मे कुल 2.5430 हैक्टेयर नहरी बाग भुमि, खाता संख्या 25/26 मे मुरबा नबर 48 मे किला नबर 1/2 ,2 से 8 ,9/1 ,13/2 ,14 से 16 ,17/1 ,25/2 मे कुल 3.099 हे0 नहरी भुमि चक 5 एफ के खाता स0 53/49 मे मुरबा नबर 48 व मुरबा नबर 62/20 मे कुल 1.8850 हैक्टेयर नहरी बाग मय खाला भूमि प्राप्त हुई है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 को सहमति बंटवारानामा में चक 5 एफ ए के खाता संख्या 85/81 मे मुरबा नबर 33 मे किला नबर 25 मे 0.253 है0 नहरी भुमि प्राप्त हुई है। वादीगण का उक्त रकबा संयुक्त खाता में अंकित होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादीगण खाता विभाजन हेतु वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। वादीगण ने आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का हिस्सानुसार किलावाईज विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 5 एफ ए के खाता संख्या 21/18 मे मुरबा नबर 33 मे किला नबर 23 ,24 मे 0.506 है0 ,मुरब्बा नबर 40 मे 6.072 है0 ,मुरबा नबर 43 मे 2. 4790 है0 कुल 9.057 है0 नहरी भुमि, खाता संख्या 50/46 मे मुरबा नबर 43 मे किला नबर 14/2 ,15 ,16 ,17/1 , 24/2 ,25 मे कुल 1.2520 है0 नहरी बाग भुमि, खाता संख्या 49/45 मे मुरबा नबर 43 मे किला नबर 11 ,12 ,13 , 14/1 ,17/2 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 , 24/1 मे कुल 2.5430 हैक्टेयर नहरी बाग भुमि, खाता संख्या 25/26 मे मुरबा नबर 48 मे किला नबर 1/2 ,2 से 8 ,9/1 ,13/2 ,14 से 16 ,17/1 ,25/2 मे कुल 3.099 हे0 नहरी भुमि चक 5 एफ के खाता स0 53/49 मे मुरबा नबर 48 व मुरबा नबर 62/20 मे कुल 1.8850 हैक्टेयर नहरी बाग मय खाला भूमि का खाता व लगान वादी संख्या 1 के नाम व चक 5 एफ ए के खाता संख्या 85/81 मे मुरबा नबर 33 मे किला नबर 25 मे 0.253 है0 नहरी भुमि का खाता व लगान वादी संख्या 2 के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15, 17 ता 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 40 ता 42, 44, 45 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 16, 29, 43, 50, 51 का नाम बतौर प्रतिवादीगण हटाया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 15, 17 ता 25, 27, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 40 ता 42, 44, 45 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है, वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। अधिवक्तागण ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 5 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 25, 34, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 68, 85, राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27, राजस्व ग्राम 8 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 21 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण जगरूप सिंह, मनप्रीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 गुरप्रीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जसविन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता दीवानी}
(civil procedure code, Appendix "D-1")
अज अदालत सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)
जगरूप सिंह आदि बनाम गुरप्रीत सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नम्बर 02/2023
निर्णय दिनांक:-31.07.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 5 एफ.ए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 25, 34, 38, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 68, 85, राजस्व ग्राम 6 एफ ए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 27, राजस्व ग्राम 8 एफए, पटवार मण्डल रडेवाला की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 21 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण जगरूप सिंह, मनप्रीत सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 गुरप्रीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 जसविन्द्र सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादीगण व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 31.07.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 31.07.2024

क्रमांक: रीडर/2024/436
प्रतिलिपि:- तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
सहायक कलेक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)